बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–7/विविध–45/2017 441 पटना, दिनांक– 21/03/18

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के (जिला संवर्ग के) शिक्षकों के स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** –(1) यह नियमावली "बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाऍं** –इस निमयावली में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग में विरूद्व न हो :–
   (i) "स्थापना समिति "से अभिप्रेत है, नियमावली के नियम–4 के अधीन गठित "जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति" ;
   (ii) "कोटि" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित कोटि ;
   (iii) "प्राथमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है वैसे राजकीयकृत विद्यालय जिनका गठन बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय (नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1976 के अधीन किया गया हो और जो वर्त्तमान में कक्षा पाँच तक की शिक्षा की व्यवस्था करता है, परन्तु इसमें अल्पसंख्यक विद्यालय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः वित्त पोषित है, शामिल नहीं है ;
   (iv) "मध्य विद्यालय" से अभिप्रेत है वैसे राजकीयकृत विद्यालय जिनका गठन बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक (नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1976 के अधीन किया गया हो और जो वर्त्तमान में कक्षा छः से आठ तक या कक्षा छः एवं सात या कक्षा एक से सात तक या एक से आठ तक की शिक्षा व्यवस्था करते हों, परन्तु इनमें अल्पसंख्यक विद्यालय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय सम्मिलित नहीं होंगें ;
   (v) "प्रारंभिक विद्यालय" से अभिप्रेत हैं वैसे राजकीयकृत विद्यालय जो प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की कोटि के हों ;
   (vi) "शिक्षक" से अभिप्रेत है राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, स्नातक शिक्षक तथा सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ। इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पंचायतों या निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षक शामिल नहीं हैं ;
   (vii) "प्रशिक्षित" शिक्षक से अभिप्रेत है, वैसे शिक्षक जो निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त किये हों एवं निम्नलिखित प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण हों:–
      (क) दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण, अथवा
      (ख) बी० एड०, डिप–इन–एड० एवं डिप–इन–टीच, अथवा
      (ग) सेवाकाल में एक वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण ;
   (viii) "मैट्रिक/इन्टर प्रशिक्षित" से अभिप्रेत है, वैसे शिक्षक जो मैट्रिक अथवा इन्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण हो और प्रशिक्षित हों ;
   (ix) "स्नातक प्रशिक्षित" से अभिप्रेत है, वैसे शिक्षक जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक या समकक्ष योग्यता रखते हों तथा प्रशिक्षित हों ;
   (x) "स्नातकोत्तर प्रशिक्षित" से अभिप्रेत है, वैसे शिक्षक जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर या समकक्ष योग्यता रखते हों तथा प्रशिक्षित हों ;
   (xi) "प्रधानाध्यापक" से अभिप्रेत हैं, राजकीयकृत मध्य विद्यालयों में नियमित रूप से पदस्थापित प्रधानाध्यापक।

c:D:LETTERS

(xii) "समान कोटि" से अभिप्रेत है एक ही कोटि के शिक्षक जैसे सामान्य विषयक एवं उर्दू विषय के सहायक शिक्षक, संबंधित विज्ञान/कला के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक ;

(xiii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ;

(xiv) "विभाग" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग ;

(xv) "जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)" से अभिप्रेत है, जिले के प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के शिक्षकों की स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी ;

(xvi) "जिला संवर्ग के शिक्षक" से अभिप्रेत है, जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में वेतनमान में नियुक्त शिक्षक ;

(xvii) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, जिला संवर्ग के शिक्षकों के लिए संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी।

3. **संवर्ग संरचना** –राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत जिला संवर्ग के शिक्षक के लिए निम्नलिखित संवर्ग संरचना होगा :–

(i) मैट्रिक/इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक–मूल कोटि

(ii) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक– प्रथम प्रोन्नति का पद

(iii) मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक– द्वितीय प्रोन्नति का पद

उपर्युक्त पदों का वेतनमान, समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के अनुरूप होगा।

4. **स्थापना समिति** – (1) शिक्षकों के स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति के लिए जिला स्तर पर "जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति" निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगी :–

(i)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–अध्यक्ष
(ii)	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)	–सदस्य सचिव
(iii)	जिला पदाधिकारी के द्वारा मनोनित वरीय उप समाहर्त्ता (यदि समिति में कोई महिला सदस्य नही हो तो यथासंभव महिला पदाधिकारी मनोनीत की जाय)	–सदस्य
(iv)	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)	–सदस्य
(v)	अनु० जाति/अनु० जनजाति के एक पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत)	–सदस्य

(2) स्थापना समिति द्वारा इस नियमावली के अधीन स्थानान्तरण, सेवा सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति संबंधी सभी निर्णय लिये जायेंगें।

(3) ऐच्छिक अन्तर जिला स्थानान्तरण के संबंध में निम्नलिखित समिति निर्णय लेगी:–

(क) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	–अध्यक्ष
(ख) क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक पटना प्रमंडल, पटना	–सदस्य
(ग) विषय के प्रभारी उप निदेशक/सहायक निदेशक	–सदस्य सचिव

5. **शिक्षक स्थानान्तरण के सामान्य सिद्धान्त**–(1) शिक्षकों का पद अस्थानान्तरणीय होगा परन्तु निम्नलिखित परिस्थियों में जिला के भीतर अवस्थित विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानान्तरण किया जा सकेगा:–

(क) समान कोटि के शिक्षकों का पारस्परिक स्थानान्तरण अथवा

(ख) वर्त्तमान में प्रवृत्त स्थानान्तरण नियमावली के तहत प्रत्येक कोटि के शिक्षको को अपने सेवा काल में अधिकतम दो स्थानान्तरण लेने की छूट दी गई है।

परन्तु प्रथम एवं द्वितीय स्थानान्तरण के मध्य कम–से–कम चार वर्षो का अंतराल होना आवश्यक होगा।

(ग) जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में, निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा, प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/सहायक

शिक्षक के, प्रशासनिक आधार पर, स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार से निम्नांकित अभिप्रेत है:–

(i) प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक की गतिविधियों का विद्यालय के अनुशासन तथा शैक्षणिक वातावरण पर कुप्रभाव जिसके कारण विद्यालय के हित में उन्हें स्थानान्तरण आवश्यक हो।

(ii) प्रधानाध्यापक/सहायक शिक्षक ऐसी वित्तीय अनियमितता में संलिप्त पाये गयें हो जिसमें सरकारी राशि के गबन एवं अपराधिक मामले सन्निहित हों ।

(घ) बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन अधिसूचित नियमावली के प्रावधान के अनुरूप छात्र एवं शिक्षक के मानक अनुपात को लागू करने के लिए शिक्षको का स्थानान्तरण किया जा सकेगा। इस हेतु जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानान्तरण कर सकेंगें।

(2) पारस्परिक अथवा ऐच्छिक स्थानान्तरण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में आवेदन दिया जा सकेगा।

(3) ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु यदि किसी विद्यालय में एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होता है, तो वरीयतम शिक्षक को वहाँ से स्थानान्तरित किया जायेगा, परन्तु दिव्यांग एवं महिला शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) अन्तर जिला ऐच्छिक स्थानान्तरण सिर्फ मूल कोटि के शिक्षकों का होगा। अन्तर जिला स्थानान्तरण पर शिक्षक की वरीयता नये जिला संवर्ग में उनके नियुक्ति वर्ष में उस जिला के नियुक्त शिक्षकों से नीचे होगी।

6. **प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई** – जिला संवर्ग के शिक्षकों के विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) प्रावधानों के अधीन की जा सकेगी।

7. **प्रोन्नति की शर्तें** – निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर ही किसी शिक्षक की प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा :–

(i) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा अर्थात कालावधि वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जायेगी।

(ii) प्रोन्नति निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हत्ता रखना,

(iii) सेवा संतोषजनक होना।

8. **आरक्षण** – मैट्रिक प्रशिक्षित से स्नातक प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित से मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति देते समय राज्य सरकार की प्रोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

9. **स्नातक शिक्षक की कोटि में प्रोन्नति** –मैट्रिक/इन्टर प्रशिक्षित शिक्षकों को, जिनकी सेवा की न्यूनतम अवधि यथा निर्धारित हो और जो स्नातक की योग्यता रखते हो, वरीयता के आधार पर, स्नातक शिक्षक के पद पर उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप, प्रोन्नति देने पर विचार किया जायेगा।

10. **मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति** – स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम अवधि यथा निर्धारित हो एवं स्नातकोत्तर योग्यता वाले शिक्षक को वरीयता के आधार पर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर उपलब्ध रिक्ति के अनुरूप प्रोन्नति देने पर विचार किया जायेगा। प्रोन्नति हेतु अपेक्षित संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर योग्यता एवं कालावधि में शिथिलीकरण की कार्रवाई विभाग द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

नियम 10 एवं नियम 11 के अधीन दी गयी प्रोन्नति, अधिसूचना की तिथि से तथा वित्तीय लाभ योगदान की तिथि से दिया जायेगा।

11. **प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची** –(1) वरीयता सूची प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के आधार पर तैयार की जायेगी।

(2) मैट्रिक/इन्टर प्रशिक्षित शिक्षकों से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों में अपेक्षित स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची विज्ञान एवं कला शिक्षकों के लिए अलग–अलग तैयार की

जायेगी। इस सूची में, प्रोन्नति के लिए अपेक्षित सेवा–कालावधि रखने वाले स्नातक शिक्षकों का नाम होगा।

(3) प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची, स्नातक वेतनमान में कार्यरत स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षकों के बीच से तैयार की जायेगी।

12. **एक ही कोटि में पारस्परिक वरीयता** –एक हीं कोटि के कार्यरत शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता निम्नलिखित मानकों के अधीन विनिश्चित की जायेगी:–

(i) विशिष्ट कोटि प्राप्त करने की तिथि वरीयता निर्धारण का आधार होगी। कोटि प्राप्त करने की तिथि समान होने पर उससे निम्न कोटि प्राप्त करने की तिथि और उसी प्रकार निम्नतम कोटि प्राप्त करने की तिथि, जहॉ कहीं अपेक्षित हो वरीयता के लिए आधार होगी।

(ii) कोटि प्राप्त करने की तिथि समान होने पर जन्म तिथि आधार होगी।

(iii) जन्म तिथि समान होने पर उनके नाम के रोमन लिपि के वर्णाक्षर क्रम से पारस्परिक वरीयता निर्धारित की जायेगी।

13. **प्रोन्नति आदेश** – जिला स्थापना समिति द्वारा लिये गये प्रोन्नति के निर्णय के उपरान्त उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्व प्रोन्नति आदेश (पदस्थापन के साथ) निर्गत किये जायेगें। प्रोन्नति–आदेश प्रोन्नति समिति के सदस्य–सचिव एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

14. **वैकल्पिक व्यवस्था** –उच्च पदो के रिक्त होने के कारण शैक्षणिक/प्रशासनिक कार्य के बाधित नहीं होने देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वरीय शिक्षकों को उनके वेतनमान में ही उच्च पद का कार्य लिया जा सकेगा। इस व्यवस्था के तहत अतिरिक्त वेतन/प्रोन्नति का दावा मान्य नहीं होगा।

15. **अप्रशिक्षित शिक्षक** –

(1) अप्रशिक्षित शिक्षक किसी भी कोटि में प्रोन्नति के पात्र नहीं होंगें।

(2) अप्रशिक्षित शिक्षक की वरीयता, उस तिथि से जिस तिथि से उसे प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया हो, मूल कोटि में निर्धारित की जाएगी।

16. **इस नियमावली का लागू न होना** –यह नियमावली नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगी।

17. **कठिनाईयों का निराकरण** –इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों का निराकरण, अधिसूचना/आदेश द्वारा, करने हेतु शक्ति राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) में निहित होगी।"

18. **अपील** –इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन निर्गत प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य कार्रवाई एवं स्थानान्तरण के संबंध में आदेश से व्यथित कोई शिक्षक, आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

19. **निरसन और व्यावृत्ति** –(1) बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–प्रोन्नति नियमावली, 2011 एवं बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक (स्थानान्तरण) नियमावली, 2006 तथा उसके अधीन निर्गत सभी परिपत्र, संकल्प, निदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस नियामवली के प्रवृत होने की तिथि से पूर्व निर्गत उक्त नियमावली परिपत्र संकल्प निर्देश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई कार्रवाई मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी, जिस दिन वैसा कुछ किया गया अथवा वैसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.3.18

(आर० एल० चोंग्थू)

सचिव।

ज्ञापांक–7 / विविध–45 / 2017 ....441........ / पटना, दिनांक–.....21/03/18..................... /

प्रतिलिपिः– सभी विभागीय प्रधान सचिव / सभी विभागीय सचिव / महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय / सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / जिला लेखा पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21·3·18

सचिव।

ज्ञापांक–7 / विविध–45 / 2017 ....441........ / पटना, दिनांक–.....21/03/18..................... /

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध कराई जाए।

21·3·18

सचिव।

e:\LETTERS